कैबिनेट के फैसले ■ पीपीपी मॉडल पर इन स्थलों को विकसित किया जाएगा ■ लखनऊ की चार ऐतिहासिक इमारतों का किया गया चयन

यूपी में नौ धरोहरें पर्यटन केंद्र बनाई जाएंगी

3.75 लाख करोड़ का निवेश बुंदेलखंड में

50 अरब लगेंगे बुंदेलखंड प्राधिकरण गठन में

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार यूपी में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देगी। इसके लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी। लखनऊ की छतर मंजिल, कानपुर के शुक्ला तालाब कानपुर सहित कई जिलों की नौ हेरिटेज इमारतों के दिन बहुरेंगे। वहां पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयां विकसित की जाएंगी। हेरिटेज होटल बनेंगे। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।

राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी समय से चल रहे प्रयासों को अब अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नौ इमारतों को हैरिटेज होटल, हैरिटेज म्यूजियम, हैरिटेज रेस्टोरेंट, होम स्टे, थीमैटिक पार्क, मॉल एक्टिविटी सेंटर, वेलनेस सेंटर समेत हॉस्पिटलिटी उद्योग के अन्य स्वरूपों के लिए मंजूरी दी गई है।

प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम के अनुसार प्रदेश में हेरिटेज इमारतों की लंबी-चौड़ी विरासत है। मगर इनके नये सिरे से विकसित करने पर सरकारी खजाने पर खासा भार पड़ेगा। यही कारण है कि अब नौ हेरिटेज भवनों को पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। संबंधित खबर P06

योगी कैबिनेट के मंगलवार को लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और जयवीर सिंह।

ये स्थल विकसित होंगे

- छतर मंजिल लखनऊ (9.88 एकड़) ■ चुनार किला मिर्जापुर (21.64 एकड़) ■ बरुआसागर किला झांसी (7.39 एकड़) ■ कोठी गुलिस्तां ए-इरम लखनऊ (1.35 एकड़) ■ कोठी दर्शन विलास लखनऊ (1.35 एकड़)
- कोठी रोशन-उद-दौला लखनऊ (1.7 एकड़) ■ बरसाना जल महल मथुरा (1 एकड़) ■ शुक्ला तालाब कानपुर (6.90 एकड़) ■ टिकैत राय बिठूर कानपुर (0.217 एकड़)

अयोध्या सोलर सिटी के लिए 165 एकड़ भूमि एनटीपीसी को दी जाएगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। अयोध्या को सोलर सिटी विकसित करने के लिए 40 मेगावाट की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना होगी। जिससे 70.08 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके लिए ग्राम मझरा रामपुर हलवारा तथा ग्राम मझरा सरायरासी तहसील सदर में 66.812 हेक्टेयर (165.10 एकड़) भूमि को चुना गया है। यह जमीन 30 साल के लिए एनटीपीसी ग्रीन इनर्जी को पट्टे पर दी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में चयनित भूमि को सांकेतिक मूल्य एक रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पर लागत 160 करोड़ रुपये अनुमानित है।

कैंसर पर शोध के लिए लखनऊ में खुलेगा अत्याधुनिक संस्थान

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राजधानी लखनऊ स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोसटिक्स एण्ड रिसर्च फॉर कैंसर स्थापित होगा। इसे पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए इंस्टीट्यूट परिसर में ही 25 हजार वर्गफुट निर्मित क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।

इसके लिए कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर और कार्किनोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के मध्य होने वाले त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा।

लखनऊ में सम्पत्ति विभाग के जर्जर आवास ढहाए जाएंगे

लखनऊ स्थित राज्य सम्पति विभाग की महानगर सचिवालय कालोनी में टाइप-2, सी-टाइप के पुराने जर्जर आवासों और डालीबाग की पुरानी ड्राइवर कालोनी में टाइप-1 के जीर्णशीर्ण 34 आवास ढहाए जाएंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को इसे स्वीकृत प्रदान की।

फसलों का होगा डिजिटल सर्वे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी खेतों में बोई गई खरीफ, जायद व रबी की फसलों का केंद्र सरकार द्वारा विकसित करवाए गए मोबाइल एप के जरिये सर्वेक्षण करवाया जाएगा। इस सर्वेक्षण से इन तीनों फसल सत्रों में सही उपज के आंकड़े हासिल हो सकेंगे।

मोबाइल एप के साथ ही साथ सेटेलाइट के जरिए भी यह सर्वेक्षण करवाया जाएगा। इस सर्वे से प्राप्त आंकड़ों से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करवाने और व्यापारियों को फसलों की खरीद में सुविधा होगी। इस बाबत एक प्रस्ताव कृषि विभाग की ओर से मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई।

वॉटर टूरिज्म-एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होंगे यूपी की पहचान

लखनऊ। यूपी की पहचान अब वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी होगी। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति (यूपी वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023) को मंजूरी दे दी है। यह नीति प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू-आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमि खंडों पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी में साहसिक क्रीड़ा एवं जल क्रीड़ा की काफी संभावनाएं हैं। यह नीति दस वर्ष के लिए होगी।